रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235872
CG-DL-E-19052022-235872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

फा. सं CEA- PS -13-23(13)/3/2022-PSPM Division.—जबकि मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, जेएसडब्ल्यू सेंटर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051 है, ने पारेषण योजना "तूतीकोरिन, तमिलनाडु में मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड की 500 मेगावाट मिश्रित बिजली परियोजना (पवन: 400 मेगावाट और सौर: 100 मेगावाट) की निकासी के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत बिजली की तार बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. सी.ई.ए-पी.एस-**12-14(20) /1/2018-**पी.एस.पी.ए-**II** डिवीजन/**132-33** दिनांक **26.03.2021** के द्वारा पारेषण योजना "तूतीकोरिन, तमिलनाडु में मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड की 500 मेगावाट मिश्रित बिजली परियोजना (पवन: 400 मेगावाट और सौर: 100 मेगावाट) की निकासी के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन सिस्टम" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड ने दिनांक 24.07.2021 (त्रिनिटी मिरर (अंग्रेज़ी में), मदुराई प्रकाशन), दिनांक 24.07.2021 (मक्कल कुराल (तमिल में), मदुराई प्रकाशन), दिनांक 13.08.2021 (दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में), चेन्नई एवं बंगलूरु प्रकाशन) तथा भारत का राजपत्र दिनांक 18.09.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड ने 13.01.2022 दिनांकित एक

हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड" ने अपने प्रस्तावित 500 मेगावाट मिश्रित बिजली परियोजना (पवन: 400 मेगावाट और सौर: 100 मेगावाट) की निकासी के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. "जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड" उत्पादन स्विचयार्ड से तूतीकोरिन- II पीजीसीआईएल पूलिंग स्टेशन तक 230 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गांवो के नाम	तालुक	जिला	राज्य
स्लावपरि (सलवापेरी), सिवनुर्पल्लककूड़ी, विल्लिसेरी, वगैक्कुलम, सिवगननपुरम, कुमारगिरि, वगैटवु, सिनिवेल्लालपुरम,मेलपरैपत्ति, किलपरैपत्ति, मुममूळैपट्टी, परसुरामपुरम, पुदुप्पत्ति, वदक्कूवन्दनम, अचनकुलम, वादकुल्लीनाथाइकुलं, असुर (आसूर), थलवाईपुराम, चेट्टिकुरुचि, पुडोर, केचिलापुरम, के चिदम्बरपुरम, कुमारापुरम, काल्यानिपुरम, कपपुलिंगम्पत्ति, करिसलकुलम, मलाईपट्टी, कालुगुसालपुराम, कुपन्नापुराम, के. कुमाररेड्डीयापुरम, अकिलंदपुरम, चिदंबरपुरम् , इलन्थापति।	कायाथर (कयातर)	थूथुकुडी (तूतीकोरिन)	तमिलनाडु

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, "मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड" को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) "मैसर्स जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी लिमिटेड" को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./81/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

F. No. .CEA-PS-13-23(13)/3/2022-PSPM Division.—whereas M/s JSW Renew Energy Limited, the applicant with its registered office at JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051, has applied for authorization u/s 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Connectivity transmission system for evacuation of 500 MW Blended Power Project (Wind: 400 MW & Solar: 100 MW) of JSW Renew Energy Limited in Tuticorin, Tamil Nadu"

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No.CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division/132-33 dated 26.03.21 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s JSW Renew Energy Limited for the overhead line covered under the transmission scheme "Connectivity transmission system for evacuation of 500 MW Blended Power Project (Wind: 400 MW & Solar: 100 MW) of JSW Renew Energy Limited in Tuticorin, Tamil Nadu".

M/s JSW Renew Energy Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 24.07.2021 (Trinity Mirror (in English), Madurai edition), dated 24.07.2021 (Makkal Kural (in Tamil), Madurai edition), dated 13.08.2021 (Dakshin Bharat Rashtramat (in Hindi), Chennai and Bengaluru edition) and in Gazette of India dated 18.09.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s JSW Renew Energy Limited has submitted an affidavit dated 13.01.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity transmission system for evacuation of 500 MW Blended Power Project (Wind: 400 MW & Solar: 100 MW) of JSW Renew Energy Limited in Tuticorin, Tamil Nadu". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

(i) 230 kV D/C transmission line from "JSW Renew Energy Limited" generation switchyards to Tuticorin II PGCIL pooling substation

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGES	TALUK	DISTRICT	STATE
Savalapperi(Salavapperi), Sivanurpallakkudi, Villiseri,Vagaikulam, Sivagnanapuram,Kumaragiri, Vagaitavu, Sinivellalapuram, Mel Paraipatti, Kil paraippatti, Mummalaipatti, Parasuramapuram, Puduppatti,Vadakku vandanam, Achankulam, Vadakkuilanthaikulam,Aasur(Aasoor), Thalavaipuram, Akilandapuram, Chidambarapuram, Chettikuruchi, Pudur, Kechilapuram, Illanthaipatti, K.Chidambarapuram,Kumarapuram,Kalyanipuram, Kappulingampatti,Karisalkulam,Malaipatti, Kalugasalapuram, Kuppanapuram, K.Kumareddiyapuram	Kayathar (Kayattar)	Thoothukudi (Tuticorin)	Tamilnadu

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s JSW Renew Energy Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s JSW Renew Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./81/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.19 16:15:52 +05'30'